

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 1201
 दिनांक : 11.7.2012

संविद्.

आईटी०एस० डेटल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर,
 गैटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)

महोदय,

अनुसंधित विकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-955/71-2-12-एन-79/06, दिनांक 11.05.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके नाम्यन से उ0प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 हाला प्रदत्त अधिकार के तहत उ0प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के अधीन आईटी०एस० डेटल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गैटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) को विकित्सा संकाय के अंतर्गत शार्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012-13 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. संस्था शासन हाला निर्धारित कीजिए ही छात्रों से लेगी तथा भेड़िकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन हाला दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था महानिदेशक विकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र० को प्रवेशित अध्यार्थियों एवं विकित्सों की सूचना नियमानुसार उनके हाला निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था हाला प्रवेशित अध्यार्थियों की परीक्षा बी0डी०आई० रेम्प्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
4. संस्था हाला प्रवेश एवं प्रीक्षाओं जादि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुलगात शासन हाला प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के अधेशानुसार आईटी०एस० डेटल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गैटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) को विकित्सा संकाय के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012-13 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूझ है कि उक्त पाठ्यक्रम में उआ० के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

मवदीय,

अध्यक्ष (उा०) +१

सहा० कुलसंघिय (सम्बद्धता)
 वृत्ते कुलसंघिय

प्रतिलिपि :-

1. संविद् विकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. लहायक कुलसंघिय (लेखा) द्वा० सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमीटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम ऐवसाईट पर ढालने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

सहा० कुलसंघिय (सम्बद्धता)
 वृत्ते कुलसंघिय

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / ३६३०
दिनांक : १७.२.२०१६

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-९७५/७९- वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा-३७ की उपधारा-२ द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा को एम०डी०एस० पाठ्यक्रम ओरल पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी-०३ सीट, पेरियोडोन्टोलॉजी-०३ सीट, ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी-०३ सीट, आथोडांटिक्स एण्ड डेंटोफेशिल आथोपीडिक्स-०३ सीट, कन्ज्वेटिव डेंटिस्ट्री एण्ड एण्डोडोन्टिक्स-०३ सीट, प्रास्थोडांटिक्स एण्ड क्राउन एण्ड ब्रिज-०३ सीट, पीडोडोन्टिक्स एण्ड प्रीवेंटिव डेंटिस्ट्री-०३ सीट, पब्लिक हैल्थ डेंटिस्ट्री-०३ सीट, ओरल एण्ड मैग्जिल्लोफेशियल सर्जरी-०३ सीट पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ (दिनांक ०१.०७.२०१५) से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

१. संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार द्वारा वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगी।
२. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा डेंटल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
३. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा डी०सी०आई० रेयुलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
५. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमाबली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः असाधारण गजट नोटिफिकेशन दिनांक १८.०७.२०१४ एवं कार्य परिषद की स्वीकृति के अलाक में कुलपति जी के आदेशानुसार आई०टी०एस० डेंटल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा को एम०डी०एस० पाठ्यक्रम ओरल पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी-०३ सीट, पेरियोडोन्टोलॉजी-०३ सीट, आथोडांटिक्स एण्ड डेंटोफेशिल आथोपीडिक्स-०३ सीट, कन्ज्वेटिव डेंटिस्ट्री एण्ड एण्डोडोन्टिक्स-०३ सीट, प्रास्थोडांटिक्स एण्ड क्राउन एण्ड ब्रिज-०३ सीट, पीडोडोन्टिक्स एण्ड प्रीवेंटिव डेंटिस्ट्री-०३ सीट, पब्लिक हैल्थ डेंटिस्ट्री-०३ सीट, ओरल एण्ड मैग्जिल्लोफेशियल सर्जरी-०३ सीट पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र २०१५-१६ (दिनांक ०१.०७.२०१५) से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।


भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. सचिव, आई०टी०एस० डेंटल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा।
३. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
४. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/प्राह्लसक्रम का नाम बैवंसाईट पर लालने का कष्ट करें।
८. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव
१८.०७.२०१६



(TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3 OF THE SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 19 October, 2011

NOTIFICATION

S.O... In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consultation with Dental Council of India, hereby, makes the following amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely: -

2. In the existing entries of column 2 & 3 against Serial No.56, in part-I of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of dental degrees awarded by Ch. Charan Singh University, Meerut, the following entries shall be inserted thereunder: -

**"VI ITS Dental College, Hospital & Research Centre,
Greater Noida.**

(i) Bachelor of Dental Surgery
(if granted on or after 9.3.2011)

BDS, Ch. Charan Singh University, Meerut

No.V-12017/66/2005- DE"



(Anita Tripathi)
Under Secretary to the Govt. of India

To,

The Manager,
Govt. of India Press,,
Mayapuri Ring Road,
New Delhi.

Copy for information to:

1. The Secretary, Dental Council of India, Kotla Road, New Delhi with a request to obtain the copy of the Gazette Notification from Press and furnish at least two copies to this Ministry also.
2. The Principal Health Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Medical Education Section -3, Secretariat, Lucknow
3. The Director (Medical Education), Government of Uttar Pradesh, Medical Education Section – 3, Secretariat, Lucknow, (U.P.).
3. The Registrar, Ch. Charan Singh University, Meerut.
4. The Principal, ITS Dental College, Hospital & Research Centre, Plot No. 47, Knowledge Park – III, Greater Noida, Uttar Pradesh.
5. The Secretaries (Health)/Director (ME) of all States/Union Territories/.
6. Notification Folder/Guard File.


19/10/11
(Anita Tripathi)

Under Secretary to the Govt. of India

(TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3 SUB SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WEFARE
(DENTAL EDUCATION SECTION)

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 3 Sep, 2015

NOTIFICATION


S.O.....In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act. 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consultation with the Dental Council of India, hereby, makes the following amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:-

2. In the existing entries of column 2 &3 against Serial No.56, in Part-I of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of Dental Degree awarded by Ch. Charan Singh University Meerut(UP) against I.T.S. Dental College, Hospital & Research Centre, Greater Noida the following entries shall be inserted, namely:

"Master of Dental Surgery

Pedodontics & Preventive Dentistry (With 3 seats if granted on or after 21.5.2015).	MDS (Pedodontics & preventive Dentistry) Ch. Charan Singh University, Meerut (UP).
Public Health Dentistry (With 3 seats if granted on or after 21.5.2015)	MDS (Public Health Dentistry) Ch. Charan Singh University, Meerut (UP).
Oral Pathology & Microbiology (With 3 seats if granted on or after 23.5.2015)	MDS (Oral Pathology & Microbiology) Ch. Charan Singh University, Meerut (UP).
Oral Medicine & Radiology (With 3 seats if granted on or after 22.5.2015)	MDS (Oral Medicine & Radiology) Ch. Charan Singh University, Meerut (UP).
Oral & Maxillofacial Surgery (With 3 seats if granted on or after 28.5.2015)	MDS (Oral & Maxillofacial Surgery) Ch. Charan Singh University, Meerut (UP).
Prosthodontics and Crown & Bridge (With 3 seats if granted on or after 26.5.2015)	MDS (Prosthodontics and Crown & Bridge) Ch. Charan Singh University, Meerut (UP).
Orthodontics & Dentofacial Orthopedics (With 3 seats if granted on or after 28.5.2015)	MDS (Orthodontics & Dentofacial Orthopedics) Ch. Charan Singh University, Meerut (UP).
Conservative Dentistry & Endodontics (With 3 seats if granted on or after 26.5.2015)	MDS (Conservative Dentistry & Endodontics) Ch. Charan Singh University, Meerut (UP)
Periodontology (With 3 seats if granted on or after 23.5.2015)	MDS (Periodontology) Ch. Charan Singh University, Meerut (UP)

No.V.12017/22/2011-DE


(Satender Kumar Gupta)

Under Secretary to the Government of India.

To

The Manager,
Govt. of India Press, Mayapuri
Ring Road, New Delhi-110064

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1617
दिनांक : 14.7.2016

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अदिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन आई0टी0एस0 डेंटल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा को एम0डी0एस0 (पेरियाडोन्टोलॉजी-03 से 05 सीट-02 सीट वृद्धि, आथोडोटिक्स डेंटोफेशियल आथोपीडिक्स-03 से 05 सीट-02 सीट वृद्धि, कन्जेवेटिव डेंटिस्ट्री एण्ड एण्डोडोटिक्स-03 से 05 सीट-02 सीट वृद्धि, प्रोस्थोडोटिक्स एण्ड क्राउन एण्ड ब्रिज-03 से 05 सीट-02 सीट वृद्धि) पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन एफ0डी0आर0 पर पाठ्यक्रम का नाम अंकित न होने एवं रु0 20 के शपथ पत्र पर सचिव द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2016-17 (दिनांक 01.07.2016) से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार द्वारा वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा डेंटल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा डी0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः दिनांक 14.07.2016 को आहूत कार्य परिषद की स्वीकृति के आलोक में आई0टी0एस0 डेंटल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा को एम0डी0एस0 (पेरियाडोन्टोलॉजी-03 से 05 सीट-02 सीट वृद्धि, आथोडोटिक्स डेंटोफेशियल आथोपीडिक्स-03 से 05 सीट-02 सीट वृद्धि, कन्जेवेटिव डेंटिस्ट्री एण्ड एण्डोडोटिक्स-03 से 05 सीट-02 सीट वृद्धि, प्रोस्थोडोटिक्स एण्ड क्राउन एण्ड ब्रिज-03 से 05 सीट-02 सीट वृद्धि) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2016-17 (दिनांक 01.07.2016) से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्थान द्वारा एफ0डी0आर0 पर पाठ्यक्रम का नाम अंकित होने एवं रु0 20 के शपथ पत्र सचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को एक माह के अंदर उपलब्ध करा देगा। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। यहाँ यह भी सूच्य है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत यदि वर्तमान सत्र में संस्थान में प्रवेशित छात्रों को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है तो इसके लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आई0टी0एस0 डेंटल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

Ph. 23236351, 23232701, 23237721
23234116, 23235733, 23232317
23236735, 23239437, 23239627

Extension No. 413 (CPP-I Colleges)
UGC Website: www.ugc.ac.in



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

F. No. 8-109/2011 (CPP-I/C)

February, 2011

The Registrar,
Ch. Charan Singh University,
Meerut - 250 005,
Uttar Pradesh.

21 FEB 2011

Sub: - Recognition of College under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. Dev./136 dated 23.11.2010 on the above subject and to say that it is noted that the following college is **un-aided/self financed** and **temporarily affiliated** to **Ch. Charan Singh University**. I am further to say that the name of the following college has been included in the list of colleges prepared under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 under the head '**Non Government Colleges teaching upto Bachelor's Degree**':-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
I.T.S. Dental College, Hospital & Research Centre, 47, Knowledge Park – III, Greater Noida, (Uttar Pradesh).	2006	The College does not fulfill the requirement of permanent affiliation. Therefore, the College is not eligible to receive Central assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

The Indemnity Bond and the other supporting documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully,

(Uma Bali)
Under Secretary

Copy to:-

- ✓ The Principal, I.T.S. Dental College, Hospital & Research Centre, 47, Knowledge Park – III, Greater Noida, (Uttar Pradesh).
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education & Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi – 110 001.
3. The Secretary (Higher Education), Government of Uttar Pradesh, 8B, Navin Bhawan, UP Sachivalaya, Lucknow – 226 001, (Uttar Pradesh).
4. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau (NRCB), 35, Ferozeshah Road, New Delhi – 110 001.
5. Publication Officer (Website-UGC), New Delhi.
6. Section Officer (F.D.-III Section), U.G.C., New Delhi
7. All Sections, U.G.C, New Delhi.
8. Guard file.

(Sunita Gulati)
Section Officer